झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत
पंचम् झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020

में

माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण!

झारखण्ड राज्य के पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ। यह सुखद संयोग है कि विधान सभा चुनाव-2019 में नवनिर्वाचित विधान सभा सदस्य के रूप में, आपका कार्यकाल नव वर्ष में प्रारंभ हो रहा है। आप में से कई सदस्य पूर्व में भी इस सदन में रहे हैं और बहुत से सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर यहाँ पहुंचे हैं। इस प्रकार इस सदन में अनुभवी तथा नवागत सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए, जन-भावनाओं और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य करना है। झारखण्ड विधान सभा की आदर्श परम्पराओं और कीर्ति को आगे बढ़ाना है, इसके लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

2. पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 'आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते'। हमारी सरकार भारत की गरिमामयी विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप जनहित के नए इतिहास रचेगी।

3. झारखण्ड विधान सभा के वेश्म में भावी झारखंड के उदात्त परंपराओं की नींव रखे जाने का यह अविस्मरणीय पल है। मुझे विश्वास है कि यह विधान सभा आप सभी के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामय और गौरवपूर्ण चर्चाओं का साक्षी बनेगा। यह सदन अपने विधायी कार्यों से झारखण्ड राज्य को प्रगति के शिखर तक ले जाएगी।

4. परिवर्तन के साथ निरंतरता लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल स्वभाव है। लोकतंत्र में जन–प्रतिनिधि, जन–आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। पंचम् विधान सभा के शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक स्थिर सरकार का गठन हुआ है। यह सरकार झारखण्ड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ेगी। बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार एक व्यापक दृष्टिबोध के साथ समाज के सभी वंचितों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्पित है।

5. हमारी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। झारखण्डी अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य को प्रगति के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है।

6. युवाओं को रोजगार, किसानों को हर संभव सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा कवचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों को सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

7. हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि युवाओं की भागीदारी के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। अतः राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा राज्य के विभिन्न जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर तथा पंचायत स्तर में लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों को चरणबद्ध रूप में भरना हमारी प्राथमिकता है।

8. हमारी सरकार महिलाओं के स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और महिलाओं के अधिकार सम्मत समाधानों के लिए पहल करेगी।

9. हमारे किसान और खेतिहर मजदूर अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारी सरकार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए संकल्पित है। किसानों को उनके मुख्य फसल के साथ सब्जियों के उत्पादन के लिए उनके लागत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कृषि उत्पादों को प्रखण्ड स्तर पर सुरक्षित रखना और उन्हें कृषि संयंत्र उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी। किसानों को प्रखण्ड स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनरेगा के तहत मानव दिवस की संख्या भी बढ़ायी जाएगी ताकि गैर कृषि समय में खेतिहर मजदूरों को रोजगार के अवसर में कमी न रहे।

10. हमारी सरकार आदिवासियों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति समर्पित रहेगी। आदिवासी आबादी को ट्राइबल सब प्लान का केंद्र बनाते हुए उनका विकास और

कल्याण किया जायेगा। झारखण्ड में आदिवासियों की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करते हुए आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाये गए CNT और SPT Act को सख्ती से बहाल रखा जाएगा। हमारी सरकार भारतीय वन कानून एवं वनाधिकार कानून के आदिवासी हितोन्मुख स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखेगी।

11. जल, जंगल और जमीन झारखण्ड की मूल पहचान है। जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी और मूलवासी भाई–बहनों को संपूर्ण अधिकार दिया जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा जल के व्यापक संकट को दूर करने के लिए पुराने जलाशयों का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार कर उनकी सफाई और संरक्षण करते हुए उन्हें अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त रखा जाएगा। राज्य हित में जल, जंगल, जमीन के संरक्षण, संवर्धन और विकास को केंद्र में रखते हुए पूर्व के कुछ बांध और अन्य सिंचाई परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा की जाएगी। वन उत्पादों और उस पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व दिया जाएगा। वंचितों और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सरकार नीति बनाएगी।

12. हमारी सरकार के लिए शिक्षा की धुरी गुणवत्ता होगी। सरकारी विद्यालयों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ निजी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से बेहतर बनाते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के साथ कम्प्यूटर शिक्षण भी शुरू किया जाएगा। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान की सुविधा भी दी

जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार पर जोर दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन, यातायात प्रबन्धन आदि विषयों को स्कूली शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए स्थानीय युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। युवाओं को शिक्षित कर हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ना महत्वपूर्ण ध्येय रहेगा।

13. हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले यह सुनिश्चित करेगी। हमारी अधिकांश जनता गांव में रहती है, इसलिए सबसे पहले प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। वहां दवाएं और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एम्बुलेंस और ममता वाहन, समस्त राज्य की जनता के पहुंच में हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

14. शहरी क्षेत्रों की झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे लोगों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान देगी। इनके लिए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के साथ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। समाज के मध्यम वर्ग को आवास, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य नगरीय सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा।

15. हमारी सरकार झारखण्ड के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्व के स्थानों को प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगी। साथ ही, इस बात का ध्यान रखेगी कि इन पर्यटन स्थलों पर आवासीय सुविधाएं सस्ती तथा आम लोगों की पहुंच में रहें। एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर इन पर्यटन केन्द्रों में अच्छी अधोसंरचना का विकास तथा पर्यटकों की सुविधा बढ़ायी जाएगी।

साथ ही वन क्षेत्र में Eco Tourism को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की मान्यता है कि ये पर्यटन स्थल स्थानीय आबादी के सहयोग द्वारा ही सुरक्षित रह पाते हैं, यहाँ पर्यटकों का आगमन बढ़ने का लाभ स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए।

16. राज्य के सभी पर्यटक केन्द्रों का विकास कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। पर्यटक केन्द्रों के विकास और उन्नयन से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगा। झारखण्ड के शहीदों के गांवों का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा और वहां की बुनियादी सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। खूंटी के उलिहातू और साहेबगंज के भोगनाडीह से इसकी शुरूआत होगी।

17. हमारी सरकार एक ऐसी उद्योग नीति की पक्षधर है जिसमें झारखण्ड के स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। इसके लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। हमारी सरकार घरेलू और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरूआत के लिए लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता दूर की जाएगी।

18. हमारी सरकार सभी समुदायों और सभी धर्मों को सम्मान और अधिकार के साथ रहने की पक्षधर है। धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के उद्देश्य से भीड़ की हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हिन्दी सहित राज्य में बोली जाने वाली सभी

भाषाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अकादमी के गठन तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जायेगी।

19. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस बिना किसी दबाव के निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करे यह सुनिश्चित किया जाएगा।

20. हमारी सरकार अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नीति बनाएगी। सरकारी कर्मियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखेगी।

21. झारखण्ड में खेल-कूद के विकास की असीम संभावनायें हैं। खेल नीति को खेल और खिलाड़ियों के हितों के अनुरूप बनाया जाएगा। खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

22. हमारी सरकार जन-सुविधाओं में प्रौद्योगिकी-सम्मत उपायों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि सेवाओं और सुविधाओं की अदायगी समयबद्ध रूप से हो सकेगी एवं इसमें पूर्ण पारदर्शिता भी आयेगी। साथ ही यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहायक होगा।

23. हमारी सरकार किसी पूर्वाग्रह और द्वेष की भावना से परे रहते हुए पिछली सरकारों के अच्छे कार्यों को भी आगे ले जाएगी। हमारी सरकार धरातल पर कार्य को उतारकर वंचितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के चेहरे पर सम्मान का भाव, खुशहाली और मुस्कुराहट लाएगी।

मुझे पूरा यकीन है कि पंचम् विधान सभा के सभी सत्र अपनी अभिव्यक्ति, कार्यों, विधायी दायित्वों और उच्च आदर्शों के निर्वहन में पूरे देश के सामने लोकतंत्र के मर्यादा–पथ का अनुकरणीय आदर्श सामने रखेगी।

अंत में, मैं पुन: आप सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि सब साथ मिलकर नए झारखण्ड के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी और जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए एक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

धन्यवाद !

जय हिन्द ! **जय झारखण्ड !!**